

स्त्री समस्याओं पर आधारित लेख लिखने लगीं। इन सबका प्रभाव पुरुष समाज और विश्व के राजनीतियों पर भी पड़ा। शायद इसीलिये वर्ष 1975 को यूनाइटेड नेशन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित कर दिया। इसके पश्चात भारत के विभिन्न नगरों व महानगरों में महिला दिवस मनाया जाने लगा। इसके साथ ही महिला संगठन भी स्थापित होने लगे। चीनी आन्दोलन का नारा भी महिलाओं के लिये प्रेरणा का सबक बना कि "तीसरी दुनिया की स्त्रियां आधे आकाश की स्वामिनी है।"

1975 में इन्दिरा गांधी ने जब आपातकाल घोषित किया था तो सारे महिला संगठन आपात काल की काली छाया में दुबक गये थे, किन्तु जैसे, 1977 में आपातकाल हटा और 1978 में जनता दल की स्थापना हुई इसके साथ ही सम्पूर्ण भारत में महिला संगठन पुनः सक्रिय हो गये। साथ ही अनेक महिला मंच भी स्थापित होने लगे। 1980 में महिला संगठनों ने अपने लक्ष्य व कार्य क्षेत्र में संशोधन किया। ये मुफ्त कानूनी सलाह, रोजगार संबंधी मशविरा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने लगी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने लगीं। भारतीय सखी परम्परा ने महिलाओं को एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार बना दिया। वे एकजुट होकर स्त्री समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनी। इस भावना ने विश्व की स्त्रियों को परस्पर जोड़कर सखी व बहन बना दिया जिसे 'सार्वभौम भगिनीवाद' की संज्ञा दी गयी। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित होने के पश्चात भारत की महिला जगत में नयी चेतना का जन्म हुआ और उन्होंने स्त्री समस्याओं को लेकर एक के बाद एक आन्दोलन आरम्भ किये। दहेज, अपहरण, बलात्कार, हत्यायें, दहेज हत्यायें, पारिवारिक उत्पीड़न, महिला श्रमिकों का शोषण आदि को मुददा बनाकर आज आन्दोलन किये जा रहे हैं। इस तरह महिला संगठन, महिला परिषद्, महिला मंच, सखी केन्द्र, महिला-रक्षा समिति, महिला दक्षता समिति, स्त्री मुक्त संगठन आदि ने महिलाओं को एक जुट कर, आन्दोलनों के माध्यम से दबाव बनाया है। इसी तरह महिलाओं से सम्बन्धित अनेक कानून बनाये गये हैं और बनाये जाने की प्रक्रिया में है। ये उपलब्धियाँ महिला संगठनों की देन है।

3. स्त्री-विमर्श और आन्दोलन

(Women's Study and Movements)

अभी तक स्त्री आन्दोलन के व्यावहारिक पक्षों पर ही मुख्यतः ध्यान दिया गया किन्तु गत दो दशकों से महिला लेखन वैचारिक क्रांति लाने के प्रयास में जुटा है। सामान्यतः ये महिलायें प्रगतिशील हैं और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। आधुनिक समय में स्त्री आन्दोलन का एक तरीका साहित्य के द्वारा आन्दोलन करना अथवा आन्दोलन करने की प्रेरणा देना। आज तरह-तरह के साहित्य में स्त्री आन्दोलन की गूंज सुनाई पड़ती है जैसे कहानी, उपन्यास, कवितायें, साक्षात्कार, लघु कथायें, रिपोर्टाज आदि।

इस प्रकार का महिला लेखन जो विशेषतया स्त्रियों को प्रेरित करने के लिये रचा जा रहा है। स्त्री आन्दोलन को लेकर एक प्रकार की वैचारिकी गढ़ी जा रही है। अनेक पुस्तकें स्त्री-विमर्श पर लिखी गयी हैं और लिखी जा रही हैं। लेखिकाओं व लेखकों का भी एक वर्ग विशेष स्त्री को केन्द्र में रखकर समस्याओं से साक्षात्कार करवा रहा है। महिला जगत की समस्याओं, उत्पीड़न शोषण, बलात्कार, अपहरण, हत्यायें आदि को उजागर कर श्रेय लूटने में लगा है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्त्री को केन्द्र में रखकर, स्त्री के पक्ष में जितने प्रकार के विचार और वैचारिक आन्दोलन, अध्ययन और रचनात्मक साहित्य उपलब्ध होता है वह सब स्त्री-विमर्श के अन्तर्गत आता है। प्रायः यह स्त्रियों द्वारा किया गया है लेकिन पुरुषों द्वारा किये गये स्त्री के पक्ष में इस प्रकार के जो कार्य हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं।

स्त्री-विमर्श में भी स्त्रियों के कार्य क्षेत्र समान न होकर पृथक-पृथक है। कुछ महिलायें केवल रचनाओं के द्वारा वैचारिक क्रांति लाने के प्रयास में हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो उच्च कोटि की लेखिकायें भी हैं और स्त्री की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदार भी हैं जैसे महाश्वेतादेवी, मेधा पाटकर, अरुधन्ती राय आदि। एक वर्ग स्त्रियों का वह भी है जो राजनीति के माध्यम से महिला जगत की समस्याओं का हल करवाने का प्रयास करती हैं। इनमें से अनेक एम.एल.ए., एम.पी. और मंत्री भी हैं अथवा रह चुकी हैं।

4. अहम मुद्दों पर आधारित आन्दोलन

(Movements Based on Important Issues)

स्त्री आन्दोलन का पूरा परिदृश्य इस बात का साक्षी है कि एक विशेष युग अथवा समय की समस्याओं को लेकर पुरुष अथवा स्त्रियों ने आन्दोलन किये हैं। उदाहरण के लिये राजा राम मोहन राय ने बंगाल की स्त्रियों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन किया जिसमें मुख्य थे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा की बंगाल में तो यह स्थिति थी कि एक धनाढ्य व्यक्ति की कितनी पत्नियाँ हैं उसे ज्ञात नहीं था। इसी प्रकार बेमेल विवाह। पति व पत्नी के आयु में बेहद अन्तर होता था। इसीलिये बंगाल में कम आयु की लड़की विधवा हो जाती थी। राजा जी ने विधवा पुनर्विवाह के लिये आन्दोलन किया। सती प्रथा पर अन्ततः कानून बनाकर इसे 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार गोविन्द रानाडे ने बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही। इसके साथ ही स्त्रियों को शिक्षित किया जाय तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जितना स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया शायद ही किसी ने किया हो। संक्षेप में, कहा जा सकता है कि एक युग विशेष की स्त्रियों की समस्यायें काफी गंभीर और चुटहिल भी होती हैं जो स्त्री समाज को जख्मी बनाये रखती हैं। इन्हीं के विरुद्ध आन्दोलन किये जाते हैं। ज्योतिबा फुले ने भी कहा कि बाल विद्यालयों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण कन्या

पाठशालायें हैं। ये युग-विशेष की स्त्री-समस्यायें थी जिनके निराकरण हेतु पुरुषों ने आन्दोलन किये।

स्वतंत्र भारत में स्त्री आन्दोलन के मुद्दे कुछ भिन्न हो गये जिन्हें लेकर वे प्रायः आन्दोलन करती हैं। संसद में स्त्री समस्याओं से जुड़े प्रश्नों को उठाती हैं। कुछ मुद्दे पहले भी थे, पर वे नये रूप रंग में उभरे हैं और वे समाज और सरकार के लिये चुनौती बन गये। इन अहम् मुद्दों में निम्नलिखित स्त्री समस्यायें मुख्य हैं : बलात्कार, दहेज हत्यायें, अपहरण, महिला श्रमिकों की समस्यायें, लैंगिक शोषण, काम काजी महिलाओं की समस्या, महिलाओं में निरक्षरता, आरक्षण, सामाजिक न्याय, तलाक, भ्रूण हत्यायें, निधन गर्भवती महिलाओं की समस्यायें, महिला उत्पीड़न, मूल्य वृद्धि, मंहगाई, जबरन वैश्यावृत्ति आदि।

21 वीं सदी की असंख्य विशेषतायें हैं पर यह सदी बिमार और सिनीकल भी है। विकृत सोच और बीमार मानसिकता की भी है। इस प्रगतिशील और वैज्ञानिक युग में मनुष्य भी है पर मनुष्यनुमा पशु भी हैं जिनके पाश्विक व्यवहार, स्त्रियों बालिकाओं, युवतियों और बहुओं के लिये उत्पीड़न के कारण भी बने हैं। पुरुष समाज के लिये कलंक भी। बलात्कार ऐसा ही पुरुषों का एक पाश्विक व्यवहार है। इधर एक दशक में बलात्कार की घटनाओं में तीव्रता से वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि 6 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसे मारा डाला गया। नाबालिग लड़के भी कम आयु की लड़की साथ ऐसा करके उसे मौत की नौद सुला देते हैं। बलात्कार एवं दहेज सम्बन्धित हत्यायें महिला संगठनों के लिये व्यापक मुद्दा बना जिसे लेकर धरना, धिराव, जलूस निकाले गये। बलात्कारियों को मृत्यु दण्ड देने की आवाज बुलन्द की गयी। यही कारण है आज दहेज संबंधी हत्यायें और बलात्कार करने वालों को कड़ी सजायें दी जा रही हैं। बलात्कारियों और दहेज के मामलों में नगर में बड़े पैमाने पर पोस्टर चस्पा किये गये। अपराधियों के घरों पर महिलाओं ने धरना दिया, उन्हें अपमानित किया गया आदि।

आज भारत की सभी महिला संगठन, समिति व परिषद् सामाजिक न्याय और समता को लेकर आन्दोलन कर रही हैं। उनकी माँग है कि संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय जिससे वे शोषित, उपेक्षित, प्रताड़ित, दीन-दुखी महिलाओं का कल्याण कर सके। उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि अभी तक सारे राजनीतिक दल महिला आरक्षण के स्वरूप और माँग से सहमत नहीं। संसद ने इसे अभी पारित नहीं किया फिर भी महिला संगठन संसद में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अडिग हैं।

उपर्युक्त महिला समस्याओं के अहम् मुद्दे आज महिला आन्दोलनों के आधार हैं। महिलायें आज इतनी जागरुक हो चुकी हैं कि वे अपने अधिकारों के लिये एकजुट होकर संघर्ष कर रही हैं। इन अहम् मुद्दों से जुड़े आन्दोलनों में सभी महिलायें एक साथ हैं। इन

आन्दोलनों में जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, निधन, धनी आदि को कोई स्थान नहीं है। सभी समान हैं। सब एक के लिये हैं और एक सभी के लिये।

8. राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी (Active Participation in National Movement)

राष्ट्रीय आन्दोलन वह उर्वर भूमि थी जिसमें वैचारिक और क्रियात्मक रूप से महिला आन्दोलन विकसित हुआ क्योंकि उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसलिये महिला आन्दोलन भी राष्ट्रीय हितों को साथ लेकर चल रहा था। इस प्रकार के सहवर्ती आन्दोलनों की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें समाज के उच्च वर्गों से लेकर निम्न वर्गों तक की महिलायें सम्मिलित थीं। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही वे सुविधायें भारतीय महिलाओं को स्वतः मिल गयीं जिनके लिये पश्चात्य देशों की महिलाओं को पृथक् से संघर्ष करना पड़ा। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि भारतीय महिला आन्दोलन सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर संगठित होने लगा। इस दृष्टि से स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्तर्गत महिलाओं की भूमिका पर एक दृष्टि डालना उचित ही होगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका और सक्रियता के मोटे तौर पर दो स्वरूप देखने को मिलते हैं :

1. प्रथम वे महिलायें जो राजनीति में रुचि भी रखती थी और सक्रिय भी थी।
2. द्वितीय वे महिलायें जो अपने लेखन द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रही हैं।

ये दोनों ही वर्ग की महिलायें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को जहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ने की प्रेरणा दे रही थीं, वहीं लेखिकायें अपनी लेखनी से नारी चेतना को प्रज्वलित करने का कार्य कर रही थी। स्त्री चेतना के उत्पन्न होने के साथ ही वे अपने अधिकारों से परिचित होने लगीं। शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, दहेज तथा अन्य महिला समस्याओं से अवगत होने लगीं। कुछ ही वर्षों में अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महिला संगठन स्थापित होने लगे। ये सभी महिला संगठन महिला समस्याओं को न केवल दबंगी से उजागर करते थे वरन् उनके समाधान की मांग भी सरकार से करते थे। समस्याओं के निराकरण के लिये सरकारों को कानून बनाने के लिये भी विवश करते थे।

यहाँ पर हम उदाहरण के लिये कुछ मुख्य महिलाओं की चर्चा करना उचित समझते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन और महिला जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं की प्रेरणा से महिला आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ। नारी शक्ति का आभास हुआ। इस शक्ति का आभास पूरी तरह गांधी जी को भी था। उन्हीं के शब्दों में -

“मुझे विश्वास है कि महिलायें स्वाधीनता के संग्राम में भाग लेंगी। मुझे चिन्ता नहीं है कि मेरे सारे सिपाही बन्दी बना लिए जाए। हमारा कार्य तो इतना सरल है कि इसे तो महिलायें भी सरलता से चला सकेगी।”

झांसी की रानी लक्ष्मी बाई देश की उन महान् महिला क्रांतिकारियों में थी जिन्होंने अपने साहस, क्षमता, कूटनीति और युद्ध कौशल से अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये थे। 5 जून, 1857 को झांसी ने खुले रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। दूसरे ही दिन इस बगावत में झांसी की रानी भी सम्मिलित हो गयी। 8 जून को किले पर आक्रमण कर दिया गया और अंग्रेजों को मात दे दी। 9 जून, 1857 से पुनः झांसी में लक्ष्मी बाई का राज्य स्थापित हो गया। अन्ततः अंग्रेजों की सशस्त्र सेना को युद्ध में सफलता मिली। इस 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने सम्पूर्ण भारत में क्रांति की लहर फैला दी। झांसी की रानी का यह आत्म बल अन्य महिलाओं के लिये प्रेरणा बना।

एनी बेसन्ट एक विदेशी महिला थीं जिसने भारत को आजीवन अपना देश समझा। उसके उत्थान में लगी रही। वे समाज सेवा और राजनीति दोनों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उन्होंने थियोसाफिकल सोसायटी के माध्यम से अनेक प्रकार के सेवा कार्य किये। महिलाओं को अपने भाषणों से प्रभावित ही नहीं किया वरन् उन्हें समाज सेवा के कार्य में लगाने की भी प्रेरणा दी। इसी समय बंगाल की महिलाओं ने महिला कर्म समाज की स्थापना की। इस की शाखायें सम्पूर्ण कलकत्ते में फैल गयी। श्रीमती बासन्ती देवी और उर्मिला देवी ने बंगाल की महिलाओं का नेतृत्व किया। गांधी जी और एनी बेसन्ट के कार्यों और प्रेरणा से समाज सेवा कार्य में स्त्रियाँ सामने आईं। नारी चेतना में एक उबाल आया समाज, देश की सेवा करने का और स्वतंत्रता प्राप्त करने का।

आबदी बनो बेगम (बाई अमन) का नाम भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इन्होंने पर्दा प्रथा को तिलाजलि दे दी। इन्होंने निरन्तर हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये कार्य किया। वे एक संवेदनशील महिला थी वे कहती थी-

“हममें से कुछ अपने बच्चों के लिये मकान और जेवर छोड़ जायेंगे, पर अच्छा हों कि अपने पीछे अपने बच्चों के लिये स्वराज्य छोड़ जाय।”

स्वर्णकुमारी देवी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बड़ी बहन विदुषी साहित्यकार थीं। उपन्यास लेखिका थी और भारती पत्रिका की संपादिका थी। स्वतंत्रता संग्राम में आपने सक्रिय हिस्सा लिया। आशा रानी वोहरा ने उनके लिए लिखा है कि-

पत्रिका (भारती) के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समाज में जागृति, देश भक्ति और महिला उत्थान की अलख जगाई थी और याचिकाओं के युग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व स्वतंत्रता सेनानियों में जोश की लहर दौड़ाई थी। वे एक अच्छी कवयित्री, कथाकार, पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र चेतना की लेखिका थी। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र समाज सुधार व राष्ट्र चेतना जागरण था। बस पहले अपनी लेखनी को कुरीति निवारण, रूढ़ि भंजन,

समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना जागरण का हथियार बनाया.....¹⁹

एनीबेसन्ट की तरह भगिनी निवेदिता विदेशी होते हुए भी वे विदेशी नहीं थी। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा दिया। वे जीवन पर्यन्त स्त्री शिक्षा, समाज सुधार और गरीब लोगों की सेवा में लगी रहीं। 1899 में कलकत्ते में प्लेग की महामारी विकराल रूप में फैल गयी थी। प्लेग कमेटी की सचिव निवेदिता थी। निवेदिता ने मेहतर लड़कों को साथ लेकर कार्य आरम्भ किया, फिर धीरे-धीरे और लोग भी शामिल हो गये। उनका स्वभाव था कि, 'स्वयं पहल करो, दूसरे लोग साथ आ ही जायेंगे।' निःस्वार्थ सेवा का सूत्र निस्सन्देह सामाजिक आन्दोलन का आधार है। भगिनी निवेदिता को रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रथम भेंट में ही उन्हें लोकमाता कहकर सम्मान प्रकट किया था।

उन्होंने मलिन बस्तियों में बालिका विद्यालय खोले। आरम्भ में ऊंची जाति की लड़कियां पढ़ने नहीं आईं तो उन्होंने अछूत कही जाने वाली लड़कियों को ही शिक्षा देना आरंभ कर दिया। फिर धीरे-धीरे अन्य जातियों की भी बालिकायें स्कूल में आने लगी। शिक्षा जगत में यह एक समर्पित विदेशी महिला का आन्दोलन था जिसने अस्पृश्य जातियों की बालिकाओं को पढ़ाना प्रारम्भ किया। उनका बालिकाओं के लिये यह नारा अथवा संदेश था 'हम भारत कन्यायें हैं, स्वयं ऊंचा उठें और भारत माँ का भी सिर ऊंचा उठायें।' यह नारा स्त्री आन्दोलन का भविष्य में बीज मंत्र बना।

रवीन्द्र नाथ ठाकुर के परिवार की एक और प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार थीं सरला देवी चौधरी। ये ठाकुरजी की भौजी थी। अपनी माँ की पत्रिका 'भारती' में लिखती रहती थीं। 'सुहृद् सोसाइटी' से जुड़कर आप समाज सेवा कार्यों में लगी रहती थी। सरला जी स्वदेशी आन्दोलन की अग्रणी नेताओं में से थीं। आशा रानी वोहरा उनके कार्य क्षेत्र का परिचय देती हुई लिखती हैं -

"स्वदेशी प्रचार, कुरीति निवारण यज्ञ जागरण कार्य के साथ स्त्री शिक्षा प्रसार के लिये उन्होंने 'भारत स्त्री मण्डल' नामक संस्था की स्थापना भी की, जिसकी शाखायें लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कराची, हैदराबाद, कानपुर, बाकीपुर, हजारीबाग, मेदिनीपुर, कलकत्ता आदि नगरों से लेकर कस्बों तक फैली थीं।²⁰"

इसी तरह के अनेक महिलाओं ने सामाजिक व राजनैतिक कार्य किये हैं जिससे नारी चेतना, राष्ट्रीय चेतना और महिला समाज सेवी संगठन को प्रेरणा भी मिली है और ऊर्जा भी। समाज सेवी कार्यों में सराजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसेफ अली, पुत्तुलक्ष्मी रेड्डी आदि। रेड्डी भारत की प्रथम महिला विधान सभा अध्यक्ष थीं। विधान सभा और संसद में नारी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया। इन महिला आन्दोलनों की विशेष बात यह भी थी कि महिला उत्पीड़न को तो

19. आशा रानी वोहरा, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएँ, पृष्ठ 22-24.

20. आशा रानी वोहरा, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएँ, पृष्ठ 38.

आन्दोलन का मुद्दा बनाया गया पर पुरुष की बराबरी हेतु कोई बात नहीं की गयी और न पुरुषों और महिलाओं की पारिवारिक अथवा सामाजिक भूमिका के विरुद्ध कोई सशक्त आवाज बुलन्द की गई। इस तरह इन आन्दोलनों से स्त्री और पुरुष संबंधों में कटुता, अलगाव, या तनाव उत्पन्न नहीं हुए किन्तु संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की माँग ने पुरुष और स्त्री के मध्य वैचारिक मतभेद को बढ़ाया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इससे पुरुष सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी। इसीलिये शायद अभी तक सभी राजनीतिक दल महिला आरक्षण के मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाये हैं।

हम इस तथ्य को भी नकार नहीं सकते हैं कि महिला लेखन, महिलाओं द्वारा रचित साहित्य ने स्त्री समाज में जन जागृति की मशाल जलायी है। महिला संगठनों ने एक जुट होकर अपनी समस्याओं को समाज के सम्मुख रखा है। सरकार को विवश किया है कि महिला संसार की समस्याओं के निराकरण के लिये वे कानून बनाये। अत्याचारियों को कठोर से कठोर दण्ड दे। पुरुष और महिला आन्दोलनों का समकालीन सरकार पर इतना अधिक प्रभाव और दबाव पड़ा कि उन्हें कानून बनाने पड़े। उदाहरण के लिये कुछ मुख्य अधिनियम -

1. सती प्रथा अधिनियम 1829 ई. 4 दिसम्बर 1829 को पारित किया गया
2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
3. बाल विवाह निरोध अधिनियम (शारदा एक्ट 1929)
4. हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937
5. हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम, 1955.
6. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
7. हिन्दू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम, 1956
8. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961
9. स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956.

महिला आन्दोलन के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इन आन्दोलनों ने भारतीय स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को प्रगतिशील बनाने में जहाँ सहायता की है, वहीं महिला शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार में भी काफी कमी आई है। दुःख इस बात का भी है कि बलात्कार की घटनाओं में जिस तरह से वृद्धि हुई है पुरुष समाज के लिये कलंक है। निर्धन, पिछड़ी दलित महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार किये जा रहे हैं। जो देश प्रगतिशील और विकासशील देश होने का दावा कर रहा है वहाँ अपहरण भी हो रहा है, बलात्कार उनकी हत्याएँ भी की जा रही हैं। विश्वास नहीं होता कि यह देश शक्ति मां की आराधना करता है। जहाँ मां दुर्गा, सरस्वती, और लक्ष्मी देवी हो वहाँ स्त्रियों के साथ अनाचार हो। यह तो किसी पतित देश के ही चिन्ह हैं। अन्त में, मैं कहना चाहूँगा

महिला आन्दोलन

कि सम्पूर्ण महिला आन्दोलन महिला चेतना से जन्मा आन्दोलन है जो स्त्रियों का शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि के विरुद्ध सशक्त रूप में खड़ा है। उसे पुरुष समाज से कोई विरोध नहीं है। विरोध है तो सामाजिक कुरीतियों और पितृसत्तात्मक समाज से। विरोध है सामन्ती विचारधारा से और पूंजीवादी मानसिकता से। इस भ्रष्ट, अनैतिक, व्यवस्था के विरुद्ध ही महिला आन्दोलन खड़ा हुआ है।

सम्पूर्ण महिला आन्दोलन का यदि विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महिला आन्दोलन संस्थात्मक मूल्यों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, अन्धविश्वासों, परिवार के रूढ़िवादी ढांचे के विरोध में जहाँ खड़ा हुआ, वहीं महिलाओं को दोगम दर्जे का समाज व परिवार में स्थान देने के विरुद्ध भी आन्दोलन किये गये। वे रूढ़ियाँ जो स्त्री के पैरों में बेड़ियाँ बांधे हुए थी, गुलाम बनाकर रखा गया था। अत्याचार, दमन, अनाचार, की वे शिकार थीं इस पुरुष समाज की रूढ़िवादी धार्मिक अन्धविश्वासों के खिलाफ भी आन्दोलन छेड़े गये। ऐसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध पुरुषों ने ही सर्व प्रथम आन्दोलन किये जैसे सती-प्रथा, बाल विवाह; बहुपत्नी विवाह। महिलाओं को शिक्षित किया जाय इस क्षेत्र में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। 20वीं सदी में अनेक महिला संगठन, परिषद, समिति स्थापित कर महिलाओं को उनके ही समाज की गंभीर समस्याओं से परिचय कराया। उन्हें एकजुट होकर सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने हेतु तैयार किया। इसलिये 19वीं सदी के अन्त और 20वीं शताब्दी के आरम्भ में अनेक महिला आन्दोलन हुए।

स्वतंत्र भारत का समकालीन आन्दोलन महिला के शोषण, बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रथा, श्रम में लिंग के आधार पर अन्याय को समाप्त करने के लिये बड़े से बड़े आन्दोलन किये गये। जलूस निकाले गये।

23/4/20
STOP

References

Manju Shukla (ed), Gopal Nagar, Lucknow.
Terms of Political Discourse:
Weekly-30 (29)